न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 4948 / 2004 / अलवर

1– बिहारी सिंह पुत्र देवीदान
2– किशोर सिंह पुत्र देवीदान
जाति बारेठ निवासी ग्राम थोसड़ा, तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– श्रीमति प्रकाश कंवर पुत्री शक्तिदान सिंह
2– श्रीमति सायर कंवर पुत्री शक्तिदान सिंह
जाति बारेठ निवासी ग्राम थोसड़ा, तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री आर.डी. मीणा, सदस्य
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थित :
श्री जी.एस. लखावत, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री विकास पाराशर, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक 24–02–2025

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण व उनकी माता मोहन बाई द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम थोसड़ा तहसील राजगढ़ की कृषि भूमि जिसके पूर्व खसरा नंबर 141 व 145 तथा वर्तमान खसरा नंबर 339 रकबा 1 हैक्टर, खसरा नंबर 347 रकबा 0.50 ऐयर, खसरा नंबर 348 रकबा 0.15 ऐयर, खसरा नंबर 350 रकबा 0.15 ऐयर हैं पर वादिया मोहन बाई के पति व वादीगण श्रीमती प्रकाश कंवर व श्रीमती सायर कंवर के पिता श्री शक्तिदान सिंह खातेदार होकर

काश्त करते थे। इस भूमि के पहले खातेदार रामसिंह व किशोरसिंह थे, जोकि शामिल में रहते थे तथा संवत् 2014 में रामसिंह ने इस भूमि को काश्त हेतु शक्तिदान सिंह को बतायी थी। इस प्रकार भूमि पर संवत् 2014 से शक्तिदान सिंह काश्त करते थे, जिनके स्वर्गवास पश्चात वादीगण काश्त करते आ रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में श्री शक्तिदान सिंह को शिकमी यानि सब–टेनेंट दर्ज किया हुआ था, लेकिन हाल सेटलमेंट में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया। शक्तिदान सिंह दिनांक 31–12–1969 को सब–टेनेंट दर्ज थे, इसके आधार पर भी वे तथा उनके स्वर्गवास पश्चात वादीगण कानूनन खातेदार हो गए, इसलिए वाद डिक्री किया जावे। परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–04–1997 द्वारा वाद साबित ना होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2004 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय खारिज कर वाद डिक्री कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–07–2004 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य अभिकथन इस प्रकार किए गए कि वाद धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने के आधार पर वादीगण/प्रत्यर्थीगण का भूमि पर कोई अधिकार नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर का निर्णय दिनांक 26–07–2004 विधि एवं साक्ष्यों अनुरूप नहीं होने से खारिज योग्य है। वादीगण ने वाद में यह उल्लेख किया था कि प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के पूर्वज कम उम्र के होने के कारण उनके द्वारा परिवार के ही बड़े सदस्य शक्तिदान सिंह से भूमि पर काश्त करवायी गई थी। इस आधार पर धारा 19 के प्रावधानों अनुसार शक्तिदान सिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। विधिक प्रावधानों अनुसार काश्त में साझेदार को भी खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। धारा 19 में यह प्रावधान महत्वपूर्ण है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिनांक को खुदकाश्त का काश्तकार अथवा उप–काश्तकार होने की स्थिति में ही खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। वाद में यह साबित न होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा सही प्रकार से वाद खारिज किया गया था। धारा 19 में आगामी संशोधन अनुसार भी खातेदारी प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक उपबंध है। भूमि पर रामसिंह व किशोरसिंह रिकॉर्डेड खातेदार थे तथा राजस्व रिकॉर्ड में मार्फत शक्तिदान सिंह काश्त का अंकन था, जोकि परिवार में बड़े होने

के कारण था। वादग्रस्त भूमि जागीर से संबंधित भी नहीं थी। इस प्रकार दावा धारा 19 के तहत भी साबित नहीं था। रिकॉर्ड में शक्तिदान सिंह की प्रविष्टि संवत् 2012 में ना होकर संवत 2014 के बाद अंकित हुई थी। राजस्व अभिलेख में शक्तिदान सिंह के शिकमी दर्ज कर दिये जाने को आधार बनाकर खातेदारी बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था, परंतु उक्त इंद्राज किसी विधिसम्मत आधार पर किया गया था, यह साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। शक्तिदान की बहैसियत शिकमी प्रवष्टि राजस्व कार्मिकों की गलती से सम्वत 2024 की जमाबन्दी तैयार करने में दर्ज हुई थी तथा इसमें काश्त 10 वर्ष का पूर्ववर्ती अंकन सही नहीं था। प्रकरण में शक्तिदान सिंह का सम्वत 2012 की स्थिति में खातेदारी प्राप्त होने का आधार कतई प्रमाणित नहीं है। शक्तिदान सिंह द्वारा अपनी जीवन अवधि में न तो अपीलार्थीगण के अधिकारों को चुनौती दी गई और न ही धारा 19 (1) एए के तहत कोई क्लेम प्रस्तुत किया गया। उनकी मृत्यु पश्चात वादीगण द्वारा आधारहीन एवं गलत आधारों पर दावा प्रस्तुत किया गया, जिसे उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के विवेचन उपरांत सही आधार पर खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को धारा 19 (1) एए के तहत प्लीडिंग से परे जाते हुए साक्ष्यों व विधि की गलत व्याख्या कर निर्णय पारित किया है, जो कि विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है। उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में 1990 आरआरडी पेज 90, 1985 आरआरडी पेज 247, 1993 आरआरडी पेज 12, 1986 आरआरडी पेज 546 विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि प्रत्यर्थीगण विवादित आराजी पर आर.टी. एक्ट लागू होने के दिन से काबिज थे। पूर्व में यह भूमि राम सिंह वगैरह की थी जिन्होंने प्रत्यर्थीगण को दी थी जिसकी प्रविष्ठि राजस्व रिकॉर्ड में है। वादीगण का प्रकरण अभिलेख एवं विधिक प्रावधानों अनुसार धारा 19 (1) एए के तहत खातेदारी अधिकारों हेतु बखूबी साबित था, जिसके आधार पर अपीलीय न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के आदेश को सही खारिज करते हुए वाद डिक्री किया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 (1) एए के तहत अधिकार बनने पर धारा 88 के तहत घोषणा का दावा भी लाया जा सकता है, जिसकी कोई मियाद निर्धारित नहीं है। अतः हस्तगत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रेकॉर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्लीडिंगस् तथा साक्ष्यों का दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। वाद मुख्यतः इस तथ्य पर आधारित है कि विवादित भूमि साबिक खसरा नंबर 141 व 145 व हाल खसरा नंबर 339, 347, 348 व 350 के

खातेदार रामसिंह व किशोर सिंह थे तथा रामसिंह ने इस भूमि को संवत् 2014 में काश्त हेतु शक्तिदान सिंह को बतायी थी। शक्तिदान सिंह के वारिस दावे में वादीगण तथा हस्तगत अपील में प्रत्यर्थीगण है। इस प्रकार वाद का मुख्य आधार शक्तिदान सिंह का संवत् 2014 से भूमि का काश्त करना तथा दिनांक 19–12–1969 को शिकमी या सब टेनेंट दर्ज होना है। इसी आधार पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 (1) एए के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाना साबित माना गया है।

8– दावे के तथ्यों अनुसार रामसिंह व किशोर सिंह शामिल में इस भूमि पर खातेदार थे तथा यह भी कि रामसिंह ने संवत् 2014 में भूमि काश्त हेतु वादीगण के मौरूस शक्तिदान को बतायी थी व संवत् 2014 से शक्तिदान सिंह इस भूमि पर काश्तरत थे। दावे में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों में सबसे पहले का रिकॉर्ड गिरदावरी संवत् 2017 से 2024 का रिकॉर्ड है, जिसमें आराजी खसरा नंबर 141 पर रामसिंह व किशोर सिंह खातेदार बकाश्त श्रीरामसिंह एवं आराजी खसरा नंबर 145 पर इन्हीं खातेदारान का इंद्राज होकर काश्त मार्फत शक्तिदान सिंह बिरादर खुद अंकित है। उक्त इंद्रजात में शक्तिदान सिंह का शिकमी अथवा सब–टेनेंट के रूप में कोई इंद्राज नहीं होकर उन्हें सिर्फ मार्फत काश्त अंकित किया गया था। यह रिकार्ड संवत् 2012 के बाद का महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसके पश्चात प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2024 से 2032 के राजस्व रिकॉर्ड में रामसिंह व किशोर सिंह का खातेदारी इंद्राज बदस्तुर है तथा शक्तिदान सिंह को मार्फत काश्त व शिकमी के रूप में दर्ज किया गया है। जमाबंदी संवत् 2024 में उनकी काश्त अवधि 10 वर्ष बतायी गई है। राजस्व अभिलेख व साक्ष्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त शिकमी व इस हैसियत का अवधि इंद्राज किस आधार पर हुआ तथा क्या यह विधिसम्मत था?

9– अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा शक्तिदान सिंह को भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 (1) एए के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त होना का अधिकारी माना है। इस क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (23) में खुदकाश्त का काश्तकार एवं धारा 5 (41) में सब–टेनेंट को परिभाषित किया गया है। खुदकाश्त भूमि पर खातेदारी मुख्यतः जागीरदारी/बिस्वेदारी अथवा एस्टेट होल्डर से संबंधित हैं। इसी प्रकार सब–टेनेंट से आशय हेतु भी कतिपय विशिष्ट आधार बताये गये है। धारा 19 में खुदकाश्त के टेनेंट एवं सब–टेनेंट को खातेदारी अधिकार देने के प्रावधान हैं, जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय वार्षिक रजिस्टरों में व्यक्ति का इस हैसियत से इंद्राज होने अथवा यह अधिकार प्राप्त होने की स्थिति होना आवश्यक है। अपीलीय न्यायालय द्वारा वाद में प्रस्तुत तथ्यों, प्रलेखिय साक्ष्यों व खुदकाश्त व सब–टेनेंट हेतु वांछित विधिक योग्यता आदि का किस प्रकार परीक्षण कर शक्तिदान सिंह को धारा 19 (1) एए

के तहत खातेदारी अधिकार मिलने योग्य माना है, इसका निर्णय में कोई उल्लेख नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा इसी अभिलेख अनुसार उसकी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की योग्यता का धारा 15 एवं धारा 19 (1) एए के तहत साबित होना नहीं माना था। वाद की यह विशिष्ट तथ्यगत स्थिति है कि रामसिंह द्वारा संवत् 2014 में शक्तिदान सिंह को काश्त हेतु बतायी गयी थी तथा राजस्व अभिलेख में संवत् 2024 से पहले श्री शक्तिदान सिंह का इंद्राज शिकमी अथवा सब–टेनेंट के रूप में नहीं था। इस प्रकार प्रकरण के समस्त तथ्यों के विश्लेषण उपरांत हमारा विनम्र विनिश्चय है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा शक्तिदान सिंह एवं उनके वारिसान के पक्ष में लिया गया निष्कर्ष अभिलेखीय साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। श्री रामसिंह व किशोर सिंह पि. देवीदान तत्समय भूमि के खातेदार थे तथा मिसल बंदोबस्त संवत् 2046 में बिहारीसिंह व किशोर सिंह पुत्र देवीदान सिंह को भूमि का खातेदार बदस्तूर अंकित किया गया। विवादित भूमि जागीरदारी अथवा एस्टेट होल्डर से संबंधित नहीं होना भी प्रकरण में स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर वाद डिक्री करने के निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार योग्य है।

10– उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2004 निरस्त किया जाता है तथा उपखंड अधिकारी राजगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–04–1997 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(आर.डी. मीणा)
सदस्य